न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

अपील सं0 150/2017

1. मुनेश कुमार मीणा पुत्र श्री लोहडीराम मीणा निवासी ओण्ड मीना तहसील महवा जिला दौसा।
..अपीलांट

बनाम

1. जिला रसद अधिकरी दौसा ..रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा मुकदमा नंबर 32/2017 में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2017

उपस्थितः 1.श्री दुर्गाप्रसाद सैनी अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 28.01.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 29.11.2017 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत ओण्ड मीना तहसील महवा जिला दौसा के उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है, जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 197/1996 है। प्रार्थी के विरूद्ध ग्राम पंचायत ओण्ड मीना के उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्तिगत राजनैतिक रंजिशवश झूंठी शिकायत की गई थी, जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक महवा द्वारा जांच की गई एवं बिना किसी कारण के प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया तथा दिनांक 08.02.2017 को कारण बताओं नोटिस दिया जिसका समुचित एवं विस्तृत जवाब दिनांक 28.02.2017 को प्रस्तुत किया गया। जिससे संतुष्ट होकर दिनांक 26.04.2017 को प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया। तत्पश्चात् पुनः जांच हेतु प्रवर्तन अधिकारी महवा को दिनांक 03.05.2017 को आदेश दिये। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 19.09.2017 को पेश की गई। जिसमें जिन उपभोक्ताओं को गेहूँ नहीं देने का आरोप लगाया है, उनमें उपभोक्ता राजेन्द्र खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं है। दीपचन्द का पॉश मशीन में फीगर ही नहीं आते है, रामकेश को गेहूँ दिया गया वह झूंठा कथन करता है। दशरथ, मोतीराम को गेहूँ दिया गया है जिसकी पुष्टी रिकार्ड से है दोनों झूंठा कथन करते है। बहादूर का खाद्य सुरक्षा की सूची में नाम ही अंकित नहीं है। प्रवर्तन निरीक्षक ने जो रिकार्ड मांगा गया उसको प्रस्तुत किया गया कोई मासिक रिटर्न मांगी नहीं गई थी। प्रार्थी के विरूद्ध कोई अनियमितता या अपराध होना प्रकट नहीं है। केवल राजनैतिक आधार पर झूंठी और गलत तथ्यों के आधार पर शिकायत की गई है। जिसकी कोई दस्तावेजी पुष्टी नहीं होती है।

प्रार्थी दिनांक 20.03.2017 को पेशी पर गया। उसके बाद 26.04.2017 को पेशी पर गया। उस दिन प्राधिकार पत्र बहाल किया गया। उसके बाद कोई पेशी नहीं दी गई, न ही कोई संसोधित नोटिस दिया गया। उसके उपरान्त भी प्रार्थी को बिना सुने आदेश पारित कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2017 में किसी प्रकार से रसद सामग्री का दुरूपयोग एवं कालाबाजारी का आरोप प्रमाणित नहीं है। केवल मात्र तकनिकी अनियमितताओं के सम्बन्ध में आरोप है, जो राज्य सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 25.03.1994 को परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें समस्त जिला रसद अधिकारी राजस्थान को निर्देशित किया गया है कि छोटे मोटे तकनीकी आधारों पर डीलरों को तंग व परेशान न किया जाये। इसके बावजूद भी बिना किसी उचित आधार के प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया है। प्रार्थी का प्राधिकार पत्र 06.02.2017 को निलम्बित किया गया था जो दिनांक 26.04.2017 को बहाल किया गया। अर्थात दिनांक 06.02.2017 के बाद तथा मई माह के बाद तक प्रार्थी ने कोई राशन सामग्री का वितरण नही किया गया फिर भी प्रवर्तन निरीक्षक महवा को दिनांक 03.05.2017 को पुनः राजनैतिक दवाब में जांच करने का निर्देश दिया जिसमें जांच रिपोर्ट 19.09.2017 में जो अनियमितता दिखाई गई उसके कॉलम 3 में फरवरी से मई माह तक की अनियमितता भी प्रार्थी के विरूद्ध अंकित की गई है।जो जांच की विश्वसनीयता को संदेहपूर्ण बनाती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत ओण्ड मीना तहसील महवा के उचित मूल्य दुकानदार श्री मुनेश कुमार मीना के विरूद्ध आम जनता ग्राम पंचायत ओण्ड मीना की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक महवा द्वारा दिनांक 03.02.2017 को ग्राम पंचायत शिविर के दौरान शिविर प्रभारी के निर्देशानुसार निरीक्षण किये जाने पर गम्भीर अनियमितताऐं पाये जाने की जांच रिपोर्ट दिनांक 06.02.2017 को कार्यालय जिला रसद अधिकारी दौसा में प्रस्तुत की गई। जिस पर दिनांक 06.02.2017 को प्राधिकार पत्र अग्रिम निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए निलम्बित किया गया तथा डीलर को 08.02.2017 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिसमें डीलर को अपना वितरण सम्बन्धी विगत 6 माह का रिकार्ड उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। डीलर द्वारा जांच हेतु रिकार्ड प्रस्तुत करने पर जिला रसद कार्यालय के पत्रांक 938 दिनांक 31.03.2017 द्वारा प्रवर्तन अधिकारी महवा को लिखा जाकर जांच करवायी गई। प्रवर्तन अधिकारी महवा द्वारा मौका एवं रिकार्ड की जांच कार्यालय में दिनांक 26.04.2017 को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार उपभोक्ताओं की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक 1199 दिनांक 26.04.2017 के द्वारा डीलर के विरूद्ध प्रकरण विचाराधीन प्राधिकार पत्र बहाल किया गया। प्रवर्तन अधिकारी महवा द्वारा प्रस्तुत जांच अस्पष्ट एवं अपर्याप्त होने के कारण कार्यालय पत्रांक 1229 दिनांक 03.05.2017 द्वारा डीलर के विरूद्ध विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में विस्तृत जांच रिपोर्ट दिनांक 19.09.2017 को प्रस्तुत की गई। जांच में पाई गई अनियमितताओं बाबत दिनांक 09.10.2017 को संसोधित कारण बताओं नोटिस डीलर को जारी किया गया। जांच में निम्न अनियमितताऐं पायी गईः–

1. उपभोक्ताओं के राशन कार्ड संख्या 007825300078 राजेन्द्र, 007825200032 दीपचन्द, 200000431288 रामकेश, 007825300005 दशरथसिंह जाटव, 200001454043 मोतीराम जाटव, 200002256748 नरेश, 007825200076 दिनेश जाटव, 200003792669 बहादूर को मांगने पर भी गेहूँ नहीं दिया जाना पाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. राशन कार्ड धारी उपभोक्ता के राशन कार्ड संख्या 0078252000020 विजयसिंह, 007825300081 पर उन्हें मांगने पर केरोसीन नहीं दिया जाना पाया गया।
3. उपभोक्ताओं के राशन कार्ड संख्या 007825200032 पर फरवरी से अप्रेल 2017 तक, राशन कार्ड संख्या 200001581143 कमलेश को अप्रेल व मई 2017 तक, राशन कार्ड संख्या 200000494839 फरवरी व मार्च 2017 का राशन कार्ड संख्या 007825300101 पर मार्च, जूल 2017 तक, राशन कार्ड संख्या 200001991142 जून/जुलाई 2017 का, राशन कार्ड संख्या 007825200007 अप्रेल से जुलाई 2017 तक गेहूँ नहीं दिया जाना पाया गया। राशन कार्ड संख्या 200001760006 मार्च से जून 2017 तक, राशन कार्ड संख्या 2000017600025 मार्च से अगस्त 2017, राशन कार्ड संख्या 2000002328865 अप्रेल से अगस्त तक गेहूँ व केरोसीन नहीं दिया जाना पाया गया।
4. उचित मूल्य दुकान अधिकांश समय बन्द रहती है और उपभोक्ताओं को दुकान पर आकर बिना सामग्री लिये ही वापास जाना पडता है।
5. उपभोक्ताओं को पॉश मशीन की प्रिन्टेड पर्ची नहीं दिया जाना पाया गया।
6. उपभोक्ताओं द्वारा राशन सामग्री मांगे जाने पर उनके साथ दुर्व्यवहार व गाली गलोच किया जाना पाया गया।
7. उचित मूल्य दुकानदार द्वारा मासिक रिटर्न की प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं की गई।

डीलर दिनांक 20.03.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ था, उसके बाद लगभग 16 तारीख पेशियां होने के उपरान्त भी डीलर निरन्तर रूप से अनुपस्थित रहा है और उसके द्वारा संसोधित नोटिस का कोई जवाब भी कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,3,4,5,6,7,11,12,13 व 17 खाद्य सुरक्षा अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री समय पर वितरण नहीं किया जाना, जांच हेतु रिकार्ड चाहे जाने पर प्रस्तुत नहीं करना, मासिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं करना एवं उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार करने सम्बन्धित अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा